


4 $\frac{8}{25}$

पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी
को बार-बार आवाज लगाई गई।
बार-बार आवाज लगाने के पश्चात
भी प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय
में हाजिर नहीं हुए। अतः प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI
अपम हाजरी अपम पैरवी में खारिज
किया जाता है पत्रावली फंसल
सुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफतर है।


उपजुद्ध अधिकारी
द्वारा रामगढ़